O/o E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
Receipt No. 2284
Date 28 AUG 2020
GM (IT)
SE (O)/SE
EE
Section

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, में प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्री एच.के.पाण्डेय कार्यपालक निदेशक (मा.सं.)

अपील प्रकरण क्रमांक 18/2020 दिनांक 30.06.2020

श्री हेमंत कुमार साहू — अपीलार्थी
कार्यपालन अभियंता
छ.ग.स्टे.पा.डि.क.लिमि. भिलाई

विरूद्ध

श्री के.एस.भारती — प्रतिअपीलार्थी
जनसूचना अधिकारी
होल्डिंग कंपनी, रायपुर

—:: आदेश ::—

(दिनांक 26/08/2020 को पारित)

अपीलार्थी श्री हेमंत कुमार साहू भिलाई की ओर से प्रकरण पर जनसूचना अधिकारी, सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)—दो होल्डिंग कंपनी के द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी से असंतुष्ट होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसे पंजीयन क्रमांक 18/2020 दिनांक 30.06.2020 के द्वारा पंजीबद्ध किया गया है।

(2) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिनांक 25.04.2020 के माध्यम से जनसूचना अधिकारी से निम्न जानकारी/दस्तावेज चाही गई है :—

मेरे द्वारा महाप्रबंधक (मा.सं.) होल्डिंग कंपनी को दिनांक 03.12.2019 को सहायक यंत्री (टी. बी.पी.एस) पदोन्नति आदेशानुसार प्रभावी पदोन्नति प्रदान करने तथा (टी.एंड डी.) की वरीयता सूची में उपयुक्त स्थान पर स्थापित करने बाबत् निवेदन किया गया था। तत्संबंध में निम्न जानकारी--

(अ) मेरे आवेदन पर आपके कार्यालय में दिनांक वार व अधिकारी कर्मी के पदानुसार विभागानुसार व तालिका वार की गई कार्यवाही की जानकारी सह दस्तावेज।

(ब) मेरे आवेदन पर निराकरण कार्यवाही लंबित रखने वाले जिम्मेदार अधिकारी का नाम पद व लंबित रखने का कारण ।

अपीलार्थी का कथन कि जनसूचना अधिकारी द्वारा उन्हे जानकारी प्रदान नही की गई है। तथा जो जानकारी उन्हे उपलब्ध करायी गई है वह गलत/अपूर्ण है।

(3) सूचना पत्र क्रमांक 1692 दिनांक 09.07.2020 के माध्यम से अपील की सुनवाई दिनांक 16.07.2020 को सांय 4.00 बजे निर्धारित कर, प्रतिअपीलार्थी एवं अपीलार्थी को सूचित किया गया। किन्तु निर्धारित तिथि को माननीय अध्यक्ष, पॉवर कम्पनीज के साथ बैठक आयोजित होने के कारण उक्त तिथि को सुनवाई नही की जा सकी। अतः प्रकरण की सुनवाई दिनांक 25.07.2020 को आयोजित कर, पत्र क्रमांक 28 दिनांक 14.07.2020 के माध्यम से दोनों उभय पक्षों को सूचित की गई।

दिनांक 22.07.2020 से 28.07.2020 तक COVID -19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु छ0ग0 शासन द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन के संबंध में इस कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 2684 दिनांक 21.07.2020 की कंड़िका 03 टीप के दृष्टिगत निर्धारित तिथि को अपील में सुनवाई की

कार्यवाही नही की जा सकी। अतएव अपील प्रकरण की पुनः सुनवाई दिनांक 18.08.2020 को नियत कर, उभय पक्षों को पत्र क्रमांक 30 दिनांक 24.07.2020 के माध्यम से सूचना दी गई।

(4) निर्धारित तिथि को अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी तथा संबंधित प्रभाग के (DPIO) उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–एक उपस्थित हुए। अतः प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही संपन्न की गई।

(5) प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी द्वारा सुनवाई तिथि को मौखिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि कंडिका 02/–टीप में आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–एक (होल्डिंग कंपनी) के कार्यक्षेत्र से संबंधित होने के कारण जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया। जिसके प्रतिउत्तर में संबंधित प्रभाग द्वारा 01 पृष्ठ की जानकारी उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया कि (टी.एण्ड.डी.) संकाय के अभियंताओं के संशोधित अस्थायी वरिष्ठता सूची बाबत् आवश्यक कार्यवाही/दस्तावेज मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर से चाही गई है। वैश्विक महामारी कोविड–19 के भयंकर प्रकोप के दृष्टिगत् लागू लाकडाऊन तथा तत्पश्चात् सामाजिक दूरी बनाये रखने के दृष्टिगत् से कार्यालयीन कार्यो में शासन के निर्देश के अनुरूप (पूर्व में एक तिहाई तथा वर्तमान में 50 प्रतिशत) कार्मिको की सेवाएं कार्यालयीन कार्यो में लिये जाने के परिणाम स्वरूप कार्यालयीन कार्य आंशिक रूप से प्रभावित हुआ है। टी.एण्ड.डी. संकाय के अभियंताओं के संशोधित अस्थायी वरिष्ठता सूची पर कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। आवेदक को उक्ताशय के वस्तुस्थिति से निर्धारित समयावधि के भीतर पत्र क्रमांक 1277 दिनांक 22.05.2020 के माध्यम से अवगत कराया गया है।

(6) (i) निर्धारित तिथि को संबंधित अभिलेखों/दस्तावेजों का अवलोकन कर, अपीलार्थी श्री साहू एवं प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी तथा संबंधित प्रभाग के (DPIO) उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–एक के तर्क श्रवण किये गये।

(ii) अपीलार्थी का तर्क कि जनसूचना अधिकारी के द्वारा जो जानकारी उन्हे उपलब्ध करायी गई है वह विषय से हटकर है जो गलत/अपूर्ण है। तथा म.प्र.पा.मै.कं.लिमि. में जानकारी लंबित है बताया गया है, जबकि म.प्र.पा.मै.कं.लिमि. से इस कार्यालय को दस्तावेज प्राप्त हो गये है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी को पूर्ण जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

(iii) उक्ताशय के संबंध में संबंधित प्रभाग के (DPIO) उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–एक होल्डिंग कंपनी का तर्क कि (टी.एण्ड.डी.) संकाय के अभियंताओं के संशोधित अस्थायी वरिष्ठता सूची बाबत् आवश्यक कार्यवाही/दस्तावेज मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर से मांगी गई है। मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जबलपुर से जो दस्तावेज इस कार्यालय में प्राप्त हुए है वह पूर्ण दस्तावेज नही है। वस्तुतः (टी.एण्ड.डी.) संकाय से संबंधित पूर्ण दस्तावेज इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने विषयक मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर को पुनः पत्र प्रेषित कर, अनुरोध किया गया है। अतएव वर्तमान में संशोधित अस्थायी वरिष्ठता सूची बाबत् विवेचना प्रक्रियाधीन है।

(7) इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि कंडिका 05/–टीप में प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही तत्कालीन समयावधि के दृष्टिगत उचित प्रतीत होता है। क्योकि (टी.एण्ड.डी.) संकाय के अभियंताओं के संशोधित अस्थायी वरिष्ठता सूची की विवेचना बाबत् आवश्यक कार्यवाही/दस्तावेज मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर से चाही गई है। तथापि मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर से जो दस्तावेज इस कार्यालय में प्राप्त हुए है जो पूर्ण दस्तावेज नही है। वस्तुतः मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर को पुनः पत्र प्रेषित कर पूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। अतएव पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर अपीलार्थी को उक्ताशय से अवगत करायी जा सकती है।

चूंकि तत्कालीन समयावधि के दौरान वैश्विक महामारी कोविड--19 के भयंकर प्रकोप के दृष्टिगत् लागू लाकडाऊन तथा तत्पश्चात् सामाजिक दूरी बनाये रखने के दृष्टिगत् से कार्यालयीन कार्यो में शासन के निर्देश के अनुरूप (पूर्व में एक तिहाई तथा वर्तमान में 50 प्रतिशत) कार्मिको की सेवाएं कार्यालयीन कार्यो में लिये जाने के परिणाम स्वरूप कार्यालयीन कार्य आंशिक रूप से प्रभावित हुआ है।

जहॉ तक अपील का प्रश्न है प्रकरण में हस्तक्षेप की आवश्यकता है। (टी.एण्ड.डी.) संकाय के अभियंताओं के संशोधित अस्थायी वरिष्ठता सूची संबंधी दस्तावेज मंगॉए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण परिणामतः यह अपील प्रकरण इस निर्देश के साथ निराकृत किया जाता है कि संबंधित प्रभाग के (DPIO) उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)—एक होल्डिंग कंपनी कंड़िका 06 एवं 07 टीप के दृष्टिगत प्रकरण की विषयवस्तु को स्पष्ट कर, जनसूचना अधिकारी को प्रतिलिपि पृष्ठांकित करते हुए, अपीलार्थी श्री हेमंत कुमार साहू को अपील आदेश जारी होने के 07 दिवस के भीतर पत्र के माध्यम से अवगत कराये।

उल्लेखित तथ्यों के दृष्टिगत दाखिल प्रथम अपील प्रकरण (पंजीयन क्रमांक 18/2020 दिनांक 30.06.2020) एतद् द्वारा नस्तीबद्ध की जाती है।

26/8/2020

(एच.के.पाण्डेय)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक —0771—2574700

क्रमांक :— 01—02/अपील प्रकरण —18/2020/41 रायपुर, दिनांक 26/08/2020

प्रतिलिपिः—

(1) जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)—दो, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(2) **उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)—एक, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

(3) श्री हेमंत कुमार साहू कार्यपालन अभियंता (एमटीआरयू) संभाग, छ.ग.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि. भिलाई को सूचनार्थ प्रेषित।

(4) कार्यपालक निदेशक (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर —उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है। पता :— सचिव,

छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
सेक्टर—19, नार्थ ब्लॉक
अटल नगर, जिला— रायपुर (छ.ग.)
पिन — 492002

26/8/2020

(एच.के.पाण्डेय)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक —0771—2574700

for n/a
AE V
27/8